संख्या— / ।।(2)/2020—03(69)/2015

प्रेषक,

उदय राज सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग—2 देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषयः—वित्तीय वर्ष 2020—21 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी के भिलंगना विकासखण्ड के जसपुर ग्राम में 02 टैंकों के नवनिर्माण की योजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—3754/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0—27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 03.10.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी के भिलंगना विकासखण्ड के जसपुर ग्राम में 02 टैंकों के नवनिर्माण की योजना, जिसकी कुल लागत रू0 28.52 लाख (रूपये अठ्ठाईस लाख बावन हजार मात्र) है, को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल लागत के सापेक्ष **रू0 11.40 लाख** (रूपये ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

2— व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

3— धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

4— धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

5— उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6— जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

9– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10–वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाये। यदि उक्त अवधि के उपरान्त धनराशि शेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन कैनाल–001–निदेशन तथा प्रशासन–02–अन्य रख–रखाव व्यय (47000680002 से स्थानांतरित)53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–232/XXVII(2)/2020, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–2198 (1)/II(2)/2020–03(69)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5– अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, नैनीताल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।

LETTER 2018-19 docx 13.docx